संख्या-37/2018/929/71-3-2018-जी-75/2014

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 12 नवम्बर, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

उपर्युक्त विषयक हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-33/2018/2867/71-1-2017-जी-75/2014, दिनांक 08-03-2018 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 11,57,39,000 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा सापेक्ष रू0 2,50,000,000/- लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में जी+3 भवन के निर्माण कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 2,12,95,600/- (रू0 दो करोड़ बारह बारह लाख पन्चानवे लाख छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।**
2. **अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।**
3. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. **स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**
5. **महानिदेशक द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।**
6. **प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।**
7. **कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. **परियोजना का थर्ड पार्टी आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।**
9. **शासनादेश संख्या-**33/2018/2867/71-1-2017-**जी**-75/2014, **दिनांक** 08-03-2018 **में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3- **उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**31 **के अधीन लेखाशीर्षक** "4210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-एलोपैथी-**44-**गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थपित कार्डियोलॉजी इंस्टीटयूट-24-कूहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।**

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-37/2018/929(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार** (लेखा एवं हकदारी), **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0, **इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार** (लेखा परीक्षा), **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0, **इलाहाबाद।**
3. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण**, उ0प्र0 **लखनऊ।**
4. **वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
5. **निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।**
6. **वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।**
7. **प्रबन्ध निदेशक**, उ0प्र0 **राजकीय निर्माण निगम लि**0, **गोमती नगर, लखनऊ।**
8. **नियोजन-अनुभाग-**4
9. **वित्त** (आय-व्ययक) **अनुभाग-**1/2, **वित्त** (व्यय **नियंत्रण**) **अनुभाग-**3
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

ht p://shasanadesh.up.nic.i

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**